रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265604
CG-DL-E-21082025-265604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947
No. 524] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 568(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) मे संख्यांक सा.का.नि. 124 (अ), तारीख 7 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे:

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 07 फरवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है)नियम 81 की सारणी में,

(i) क्रम संख्या (4ख) में, "पंजीकरण प्रमाणपत्र" शब्दों के पश्चात्, “पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से अनधिक पुराने मोटर यानों के लिए” शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे।

(ii) क्रम संख्या (4ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

4ग.	पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 20 वर्ष से अधिक पुराने मोटर यानों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरणः		52(1)	
	(क) अविधिमान्य ढुलाई वाहन	सौ रुपये		
	(ख) मोटर साइकिल	दो हजार रुपये		
	(ग) तिपहिया/चौपहिया (क्वाड्रिसाइकिल)	पाँच हजार रुपये		
	(घ) हल्के मोटर यान	दस हजार रुपये		
	(ङ) आयातित मोटर यान (दो या तीन पहिया)	बीस हजार रुपये		
	(च) आयातित मोटर यान (चार या अधिक पहिया)	अस्सी हजार रुपये		
	(छ) कोई अन्य यान जो उपर उल्लिखित नहीं है	बारह हजार रुपये		

(iii) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 3.- उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट सभी फीस माल और सेवा कर से अनन्य हैं।"

[फा. सं. आरटी-23013/2/2021-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 223(अ) तारीख 09 अप्रैल, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

G.S.R. 568(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 124 (E), dated the 7th February, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 7th February, 2025;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 64 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 81, in the TABLE, -

(i) in serial number (4B), in the entry under column (2), after the words "Renewal of certificate of registration", the words "for motor vehicles older than 15 years but not exceeding 20 years from the date of first registration" shall be inserted;

(ii) after serial number (4B) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4C.	Renewal of certificate of registration for motor vehicles older than 20 years from the date of first registration: -		52(1)	
	(a) Invalid carriage	Hundred rupees		
	(b) Motor cycle	Two thousand rupees		
	(c) Three-wheeler/ Quadricycle	Five thousand rupees		
	(d) Light motor vehicle	Ten thousand rupees		
	(e) Imported motor vehicle (Two or Three wheeled)	Twenty thousand rupees		
	(f) Imported motor vehicle (Four or more wheeled)	Eighty thousand rupees		
	(g) Any other vehicle not mentioned above	Twelve thousand rupees		

(iii) after Note 2, the following note shall be inserted, namely: -

"Note 3.- All fees specified in the Table above are exclusive of Goods and Services Tax."

[F. No. RT-23013/2/2021-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 223(E) dated 09th April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.08.21 21:53:11 +05'30'